

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

शुभारजकर बनाम श्री अंबरलाल (गिस्ता)

किरम मुकदमा प्री-५७ 111-128 नं० 152 सन् 2021

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्वर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तानील मे जारी हुए
8-11-21	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को समन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 22-11-21 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p> <p>पत्रावली प्रशासन गाँवों के लेग क्षत्रियान' डेम्प 2021 गण्ड प. सीडियास मे वेरा डुरी प्राथिया का प्रार्थना पत्रा लीकर किया गया। पत्रावर हल्का पत्रवारी द्वारा रिपट प्राप्त डुरी जितेशा-प किया गया। निर्वाच प्रथरसे लिखा जाकर शाशिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फँसक शुमार होकर गम्बरसे डुरी हो।</p> <p>डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संघ अभियान 2021</p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 152/21 प्रा.पत्र

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

1- मु० शंकरलाल 31० श्री माहर सिंह जगप्रत निवासी- बुढा तहसील- माण्डल प्रार्थी

बनाम

1- श्री भंवरलाल 31० श्री हरदेव जाट निवासी- सिडियास तहसील- माण्डल (प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 22-11-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर विवेदन किया कि ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का सिडियास तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी 662, 664, 666, 658 कुल किता 05 रकबा 1.0369 हेक्टेयर 587, 598, 599, 246 स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी

मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11.11.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम हरिपुरा

पटवार हल्का सिडियास तहसील मांडल में स्थित आराजी 662, 664, 666, 658 कुल किता 05 रकबा 1.0369 हेक्टेयर 587, 598, 599, 246

भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अगवानपुरा को 500/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

उपेक्षित अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने का सिमा गाँवों के संग अभियान 2021 जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपेक्षित अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021